SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
Recognized by NCTE & Affiliated to University of Lucknow
2D/HS-1, Vrindavan Yojna, Raibareilly Road, Lucknow, Ph. : 2443963, 7080111596

OTHER BACKWARDS CASTES (OBC) CELL

POLICY

OBC Cell

The OBC Cell is established to foster a supportive and inclusive environment where every employee and student feels secure and respected. It ensures strict adherence to reservation orders issued periodically in favor of OBC communities and expedites resolution of grievances for OBC employees and students.

Objectives of the OBC Cell:

1. **Implementation and Monitoring:** Effectively implement, monitor, and continuously evaluate the reservation policy within the campus. Devise strategies for the effective implementation of Government of India and UGC programs.

2. **Empowerment:** Educate, enlighten, and empower OBC students and staff within the college to take full advantage of government and other agency facilities for their educational and career development.

3. **Data Collection and Analysis:** Collect comprehensive data on policy implementation related to admissions, and appointments to both teaching and non-teaching positions. Analyze trends and changes to ensure compliance with mandated quotas.

4. **Grievance Redressal:** Promptly address grievances of OBC category employees and students, ensuring a fair and supportive resolution process.

5. **Capacity Building:** Organize workshops, seminars, and training programs to enhance awareness and understanding among the OBC community about their rights and opportunities.

6. **Coordination:** Facilitate effective coordination with government bodies, UGC, and other stakeholders to stay updated on policy changes and best practices.

The OBC Cell plays a pivotal role in promoting equity, inclusion, and compliance with reservation policies, thereby creating a conducive environment for the academic and professional growth of OBC students and employees in the University.

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW * IQAC

संख्या-1/1/94-कार्मिक-1/1994

प्रेषक,

आर० बी० भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 1994।

विषय :-उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

कार्मिक अनुभाग-1

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1994" की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :-

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिनमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित समस्त सेवाओं और पदों, समस्त स्थानीय प्राधिकारी (लोकल आथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, सभी बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिसमें सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो से सम्बन्धित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसके अंतर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और पदों, जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार, लागू होगा।

(3) यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो। और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु, उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने, या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किये जाने पर, सम्बन्धित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोष सिद्ध होने पर, अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY,
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW *

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत लागू होंगे।

2—आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 के समस्त प्रावधानों का सभी स्तरों पर, उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर–1 के खण्ड (1) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,
आर० बी० भास्कर,
सचिव।

संख्या 1/1/94-का–1/94 (1), तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि, सन्दर्भगत अधिनियम, 1994 की प्रति सहित निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिनियम के प्राविधानों से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत करने का कष्ट करें :–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।

(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अधिनियम को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(4) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।

(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू कराने के अनुरोध सहित।

(6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।

(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(11) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

(12) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(13) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

(15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

(16) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(18) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(19) निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(20) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(21) समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY LUCKNOW

आज्ञा से,
आर० बी० भास्कर,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 488/सत्रह-वि-1-1 (क) 6-1994

लखनऊ, 23 मार्च, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :—

(एक) स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो;

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY IQAC LUCKNOW

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है;

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण

3—(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :--

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में ... इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में ... दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में ... सत्ताइस प्रतिशत :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी/ ऐसी भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

शास्ति

5—(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपत किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6—यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

7—राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

छूट और शिथिलीकरण

8—(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

जाति प्रमाण-पत्र

9—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायगा।

कठिनाइयों को दूर करना

10—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

12—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

13—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों का तदनुसार संशोधित समझा जायगा।

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW *

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

14—धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

15—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार-

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहां, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर;

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

निरसन और अपवाद

16—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची—एक

[देखिए धारा 2 (ख)]

1—अहीर
2—अरख
3—काछी
4—कहार
5—केवट या मल्लाह
6—किसान
7—कोइरी
8—कुम्हार
9—कुर्मी
10—कम्बोज
11—करागर
12—कुंजड़ा या राईन
13—गोसाई
14—गूजर
15—गड़ेरिया
16—गद्दी
17—गिरि
18—चिकवा (कस्साब)
19—छीपी
20—जोगी

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW *

21—झोजा

22—डफाली

23—तमोली

24—तेली

25—दर्जी

26—धीवर

27—नक्काल

28—नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

29—नायक

30—फकीर

31—बंजारा

32—बढ़ई

33—बारी

34—बैरागी

35—बिन्द

36—बियार

37—भर

38—भुर्जी या भड़भुजा

39—भठियारा

40—माली, सैनी

41—मनिहार

42—मुराव या मुराई

43—मोमिन (अंसार)

44—मिरासी

45—मुस्लिम कायस्थ

46—नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी

47—मारछा

48—रंगरेज

49—लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी, राजपूत

50—लोहार

51—लोनिया

52—सोनार

53—स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

54—हलवाई

55—हज्जाम (नाई)

अनुसूची—दो

[देखिये धारा 3(1)]

1—निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :–

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य, या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क"/ श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क"/श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो:

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2—चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW *

3—किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4—किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5—किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6—किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 488(2)/XVII-V-1—1(KA)6-1994

Dated, Lucknow, March 23, 1994

IN pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislative and assented to by the Governor on March 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACK-WARD CLASSES) ACT, 1994

(U. P. Act no. 4 of 1994)

(As passed by the U.P. Legislative Assembly)

AN

ACT

to provide for the reservation in public Services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. *(1)* This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Definitions

2. In this Act,—

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts :

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

(b) "other backward classes of citizens " means the backward classes of citizens specified in Schedule I ;

(c) "public services and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in—

(i) a local authority :

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one percent of the share capital of the society is held by the State Government :

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government :

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in *clause* (1) of Article 30 of the Constitution ;

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ;

(d) "year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes

3. (1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitment are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens,—

(a) in the case of Scheduled Castes	twenty one per cent :
(b) in the case of Scheduled Tribes	two per cent :
(c) in the case of other backward classes of citizens	twenty seven per cent :

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) If, even in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, special recruitment shall be made for such number of times, not exceeding three, as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(3) If, in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment referred to in sub-section (2), it may be carried over to the next year commencing from first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in that year total reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed fifty per cent of the total vacancies.

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
IQAC
LUCKNOW

(5) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1) by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is exhausted.

(6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7) If, on the date of commencement of this Act, reservation was in force under Government Orders for appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

Responsibility and powers for compliance of the Act

4. (1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub- section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the code of criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call for record

6. If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Representation in Selection Commitee

7. The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

Concession and relaxation

8. The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competative examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons reffered to in sub-section (1) which are not in consistent with the provisions of this Act, shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY * LUCKNOW *

9. For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order, provide. — Caste certificate

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. — Removal of difficulties

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursurance of this Act or the rules made thereunder. — Protection of action taken is good faith

12. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. — Power to make rules

13. The State Government may, by notification amend the Schedules and upon the publication of such notification in the *Gazette*, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly. — Power to amend the Schedules

14. Every order made under sub-section (5) of section 3, sub-section (1) and (2) of section 4 and section 10 and every notification issued under section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislative and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act. — Laying of Order etc.

15. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement. — Savings

Explanation : For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test of the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

U.P. Act no. 21 of 1989 U.P. Act no. 3 of 1993

16. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Ordinance, 1994 are hereby repealed. — Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 5 of 1994

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the ordinance reffered to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY LUCKNOW

SCHEDULED—I.

(*See* SECTION 2 (6)]

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumhar
9. Kurmi
10. Kambooj.
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar
15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chikwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Dhafali
22. Jhoja
23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi.
26. Dhiver.
27. Naqqal
28. Nai (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai.
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar.
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali, Saini
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori
47. Marchcha
48. Rangrez
49. Lodha, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi, Rajput.
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes categoty.
54. Halwai.
55. Hajjam (Nai)

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY ★ LUCKNOW ★

SCHEDULED—II

[*See* SECTION 3 (b)]

1. Son or daughter of—

(a) a member of Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any State Service; or

(b) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service; or

(c) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category *(a)*; or

(d) such Group A/Class I officer of any Department or institution of the State Government, who is not included in sub-category *(b)*; or

(e) an officer of the defence forces or para military forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank ;

Provided that the income from salary of such member or officer of service is Rupees ten thousand or more per mensum, his spouse is at least a graduate and he or his spouse owns a house in an urban area.

2. Son or daughter of a person engaged in profession as a Doctor, Surgeon, Engineers, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, media and information professional, management and other consultant, film artist and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stock broker or in entertainment business ;

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

3. Son or daughter of a business man whose average income for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

4. Son or daughter of an industrialist whose level of investment in running units is over rupees ten crore and such units are engaged in commercial production for atleast five years and his spouse is atleast a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holding within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of rupees ten lakh in a finanical year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is atleast a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years in not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

Principal
SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
2D/HS-1, Vrindavan Yojna
Raibareilly Road, Lucknow

By order,

N.K. NARANG,

Sachiv.

SRI KRISHNA DUTT ACADEMY
IQAC
LUCKNOW